न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– महेन्द्र लोढा

अपील संख्या 69/2018 तारीख रजू 22.05.18

1. हेमराज पुत्र किशनलाल जाति गुर्जर निवासी डिडवाडा तहसील मलारना डूँगर।
2. रामसिंह पुत्र किशनलाल जाति गुर्जर निवासी डिडवाडा तहसील मलारना डूँगर।

––अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार मलारना डूँगर। ––रेस्पोडेन्ट

आदेश **दिनांकः– 29.06.2018**

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार मलारना डूँगर द्वारा मिसल संख्या 740/16 में पारित निर्णय 26.02.16 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम डिडवाडा के खसरा नम्बर 57 रकबा 0.40 एयर किस्म चाही 3 पर वर्ष 2016 में अनाधिकृत फसल काश्त कर अतिक्रमण करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित एवं फसल जप्त सरकार करने के साथ–साथ अपीलार्थी को पूर्ववर्ती अतिचारी मानते हुए सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिए सम्मन की गयी तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली तलब की गयी। प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

विद्वान् वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी तर्क दिया है कि अपीलार्थीगण को सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने से पूर्व विधिवत नोटिस जारी नहीं किया है और ना ही अपीलार्थीगण को विधिवत तामील करवायी गयी है। बिना किसी आधार के अपीलान्ट के विरूद्व एकतरफा निर्णय पारित करके अहम भूल की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 57 रकबा 0.40 ऐयर किस्म चाही 3 वाके ग्राम डिडवाडा पर किसी प्रकार से अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि हल्का पटवारी ने मौके कि स्थिति को देखे बिना अपनी मनमर्जी से गलत प्रकार से गांव के अन्य लोंगो के बहकावे मेंआकर रिपोर्ट प्रस्तुत की है उक्त रिपोर्ट को आधार

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

मानकर अदालत मातहत ने अपीलार्थीगण को सुने बिना यह निर्णय पारित करने में अहम भूल की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों की खुले रूप में अवहेलना है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.02.16 निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान वकील पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि आदेश जेरे अपील पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को विधिवत रूप से सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया है बावजूद सूचना अपीलान्ट अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ नहीं अतिक्रमण के संबंध में कोई साक्ष्य/सबूत पेश किये गये। अदालत मातहत द्वारा पारित किये गये निर्णय में कोई अनियमिता नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमायी जावें।

विद्वान वकील अपीलार्थी व पेराकार सरकार की बहस सुनने एवं अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी अतिक्रमी के विरूद्व अतिचार किये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी अतिक्रमी को सुनवाई/सबू प्रस्तुत करने का नोटिस जारी किया गया है, नोटिस की पालना मे अपीलार्थी अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। अतः अपीलार्थी का यह कथन है कि सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया, मान्य नहीं है। जहॉ तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो इस संबंध में पूर्व में किये गये अतिचार के सम्बन्ध अदालत मातहत की पत्रावली मे पटवारी हल्का के बयान संलग्न है जिसे पूर्ववर्ती अतिचार सिद्व होता है। अतः मै अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश में कोई फेरबदल करना उचित नहीं समझता हूॅ।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.02.18 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 29.6.18 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर